

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 136]

नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 17 मार्च 2026 — फाल्गुन 26, शक 1947

गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17 मार्च 2026

अधिसूचना

क्रमांक GENS-21/179/2026-HOME SECTION.— जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग लाते हुए तथा जनगणना नियम, 1990 के नियम 3 के अनुसरण में, राज्य शासन एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लिखित प्राधिकारियों को जनगणना 2027 के लिये कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के अंतर्गत कॉलम (3) में पदभिहित जनगणना अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है:—

अनुसूची

सरल क्र.	पदाधिकारी	प्राधिकार	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)
1	साधारणतया प्रगणक के रैंक से ऊपर के अधिकारी।	पर्यवेक्षक	उनसे संबंधित क्षेत्र की सीमाओं के अंतर्गत
2	शिक्षक, लिपिक या कोई पदधारी या कोई व्यक्ति।	प्रगणक	उनसे संबंधित क्षेत्र की सीमाओं के अंतर्गत

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकांत वर्मा, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 17th March 2026

NOTIFICATION

No. GENS-21/179/2026-HOME SECTION.— In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 4 of the Census Act, 1948 (No. 37 of 1948) and in pursuance of rule 3 of the Census Rules, 1990 the State government hereby appoints the authorities mentioned in column 2 of the Schedule below as Census Officers designated in column 3 for the Census 2027 within the local areas specified in column 4 thereof:-

SCHEDULE

S.No.	Authorities	Designation	Local Areas
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Officers generally of a rank higher than enumerator.	Supervisor	Within the limits of their respective areas.
2	Teachers, Clerks or any official or any person.	Enumerator	Within the limits of their respective areas.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SHRIKANT VERMA, Deputy Secretary.